

No.Ft. 48-5162/2020 (FCA)
H.P. Forest Department.

From

Nodal Officer-cum-APCCF (FCA)
O/o Pr.CCF (HoFF), H.P. Shimla.

To

The Deputy Inspector General Forest, Sub Office,
Govt. of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla,
Himachal Pradesh-171001.

Dated Shimla-1, the

Subject: Diversion of 4.75 hectare of forest land in favour of HPPWD, for the construction of link road from Bhadela to Halan via Bhandrota (Km 0/00 to 8/300), within the jurisdiction of Churah Forest Division District Chamba, HP (Online proposal No. FP/HP/Road/50711/2020).

Sir,

Kindly refer to your office letter No. I/58047/2023 dated 21.11.2023 on the subject cited above.

2. The point wise reply to the observations as raised your above referred communication is submitted as below:-

1. (i) In reply to this observation the detail of proposals as mentioned in column No B I of part-I automatically fetched from the portal and User agency is unable to add or delete the entry in the said column. Hence, the reply may be accepted please.

(ii) The proposal No. FP/HP/Road 606/2010 as asked for is not traceable in Parivesh portal hence the compliance report of the same cannot be submitted. Moreover, the final approval to the proposal No. FP/HP/Road/25469/2017 has been obtained which was communicated to State Govt. vide your office letter No. 8B/HP/06/14/2020/FC-573 dated 18-11- 2022. However, the copy of compliance report is available on the Parivesh Portal.
2. CF Chamba has submitted that the sale/gift deed or Affidavit made by Private landowners has been uploaded in the Parivesh Portal as additional information in Part-I.
3. CF Chamba has submitted that the copy of reclamation plan duly authenticated by DFO has been uploaded against additional information online Part-I.
4. It is submitted by the User Agency that the Wire Crates (Gabion Walls) will be constructed in the areas where land slide/soil erosion is likely to occur. Also Longitudinal drains and cross water drains (Hume pipe culverts, slab culverts and solid causeways) will be constructed for proper channelization of rain water which will reduce change of soil erosion. And after the construction period labor and machinery will be deployed for maintenance of longitudinal

drains as well as cross drainage structures. Also Undertaking for Soil and Moisture Conservation Plan has been uploaded as additional information in Part-I.

5. CF Chamba has submitted that the forwarding letter the total length was wrongly mentioned. The actual length of proposal is 0/0 to 8/300 km.
6. CF Chamba has submitted that the details of enumeration list of tree as per species, dia and class-wise has been uploaded on the portal please.
7. CF Chamba has submitted that undertaking to this effect has been uploaded as additional information in part – II.
8. The KML file of the proposed road has been uploaded in online part-I
9. NPV bill as per revised guidelines has been uploaded as additional information in part – II.
10. In reply to this observation Divisional Forest Officer, Churah has submitted that the area of Churah Forest Division in the vicinity mostly proposed under protection working Circle in the expired working plan prepared by Sh. A.K. Gupta, IFS. However, revised working plan is under preparation please.
11. The revised KML file has also been uploaded in online Part-I, Colum –C.

Copy enclosed:-

Yours faithfully,
Digitally signed by
SANJAY SOOD
Date: 21-07-2026
13:57:15
Nodal Officer–cum-APCCF (FCA)
O/o Pr.CCF (HoFF), H.P. Shimla.

पत्र संख्या / एफ0टी0. 48-3702 / 2017 (एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड, शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171001

दिनांक शिमला-1

11 8 OCT 2022

विषय: **Diversion of 3.5271 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bhadela to Andwas (Kms. 0/00 to 6/300), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh. (Online No. FP/HP/Road/25469/2017)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/H.P./06/14/2020/F.C./01 दिनांक 27/04/2022

के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

- 1 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आशय पर सहमति जताई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
- 2 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आशय पर सहमति जताई है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
- 3 **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.06 हे0 गैर वानिकी भूमि/वनाच्छादित वन भूमि संख्या Salooni/Billa Beat/52 D1, Dhar Malhol in DPF में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाएगा। प्रतिलिपि संलग्न है।

कु.पं0उ०

(ख) वन मण्डलाधिकारी द्वारा संशोधित सी0ए0 स्कीम में सही कम्पार्टमेंट/खसरा संख्या प्रस्तुत की गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर भी सहमति जताई है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण/सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य:

- क) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आशय पर अपनी सहमति जताई है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
- ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर अपनी सहमति जताई है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा, प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। प्रतिलिपि संलग्न है।
6. वन मण्डलाधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं सी0ए0 क्षेत्र का नाम अंकित कर दिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
7. वन मण्डलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पूर्व में किसी भी अन्य प्रस्ताव में सी0ए0 हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर अपनी सहमति जताई है कि माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0सी0ए0 के तहत वन भूमि के प्रत्यापन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरांत ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 141 पेड़ से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की गई है। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
10. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण लागत एवं आकस्मिक शुल्क, और शुद्ध वर्तमान मूल्य (CA=Rs.8,42,153/-+ NPV=Rs. 24,65,443/-Total.=Rs. 33,07,596/-) की राशि Adhoc-CAMPA में जमा किये गए हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।
11. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
15. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
16. वन भूमि एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पित ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त: लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।

20. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
22. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
24. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर सहमति जताई है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न है।
25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय पर अपनी सहमति जताई है कि अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त


नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०) हि०प्र०

PROFORMA

Sr. No.	Particulars.	Remarks.	
1.	State/Distt/Forest Division to which the proposal relates.	HP/Chamba/Churah	
2.	Name of User Agency & Nature of proposal.	HPPWD- Road.	
3.	Extent of Forest Areas involved.	3.5271 ha.	
4.	Whether original or extension.	Original.	
5.	If extension of lease, pl. clarify if proposal involves addition forest area and if so specify.	-Nil-	
6.	Date of 1st stage clearance.	27-04-2020	
7.	Amount realized. (in Rs.).		
	I) Compensatory Afforestation.	842153-00	
	II) Additional CA	0	
	III) Penal CA.	0	
	IV) Catchment Area Treatment.	0	
	V) Wild Life Management Plan	0	
	VI) Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected Areas.	-Nil-	
	VII) Net Present Value (NPV)	2465443-00	
	VIII) Any other charges/Levies (Please specify)		
8	Detail of Bank Drafts(Bank Draft No. Date & Amount), Head wise against items indicated in paragraph-7 above.	0	
9.	Whether deposited by RTGS, if so the particulars & date of remittance:-	UTR. No.SBIN20241626455 dated 28-08-2020	
10.	Bank(Corporation Bank, Lodhi Complex/Union Bank of India, Sundernagar) in which deposited with date of deposition.	Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi.	
11.	Any other remarks.	0	


Divisional Forest Officer,
Churah Forest Division,
Salooni

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या।)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
सडक निर्माण के लिए वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं
किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021.

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल शास्त्री
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 2)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल

हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए आवश्यक गैर वन भूमि को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि को लिया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


कमल भारती,
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 3 क)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल

हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा प्रस्तावित दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 7.06 हे० Dhar Malhol DPF में ही प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा और यह प्रमाणित करता हूं कि जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को ही लगाया जाएगा।

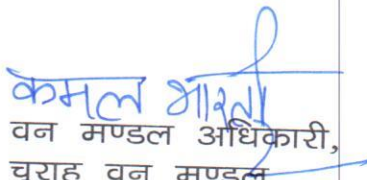
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024.


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


कमल शर्मा
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 3 ख)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए सी.ए. क्षेत्र का खसरा न० ५०१/२३५/२ है

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 4)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक
वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक
वनीकरण की 10 वर्षों के अंतर्गत धनराशि 33,07,596/- बनती थी,
जमा करवा दी गई है।

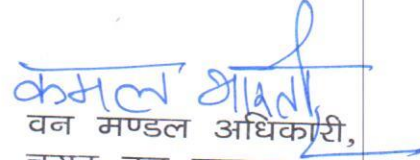
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


कमल शास्त्री,
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 5 क)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए NPV/CA राशि मु० 33,07,596/-
ऑनलाईन जमा करवा दिया गया है ।

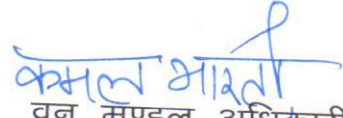
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 -


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी ।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी ।

HPTR-RTGS)
RTGS/NEFT ADVICE

57

Treasury Code C H M O 3 DDO Code 6 3 1 SDO Code 0 0

DDO/SDO Description: Executive Engineer, Salooni Division, HPPWD Salooni.

Pre-Assigned Token No. 1 9 1 1 5 5 7 4 Dated 2 8 0 8 2 0 2 0

To be directly credited to following accounts			Total Amount: 33,07,596.00			
Sr. No.	Name of Contractor/ Supplier	I.D. No.	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account Number	Amount
1.	Himachal Pradesh CAMPA	CC63110457	CORP0000371	Corporation Bank Lodhi complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I, Lodhi road, New Delhi-110003	150706125469 970	3307596.00
Total:						3307596.00

(Rupees in Words: Thirty Three Lakh Seven Thousand Five Hundred Ninety Six) only.

Ex. Engg. Salooni Division, HPPWD Salooni

(Pay Order by DDO/TO for NEFT/RTGS)

Received by _____

HPTR-RTGS

(to be filled in duplicate)

NICNET: HP

TREASURY OFFICER

Sub Treasury Salooni

Chandra 11.05.176320

2-8/8/20

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 5 ख)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए NPV/CA राशि मु० 33,07,596/-
ऑनलाईन जमा करवा दिया गया है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता
है कि यदि अतिरिक्त शुद्ध वर्तमान मूल्य बढता है तो विभाग उसे भी
देने के लिए तैयार है।

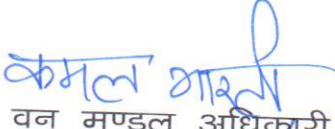
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT.
CHURAH FOREST DIVISION SALOONI, DISTT. CHAMBA.

CERTIFICATE.

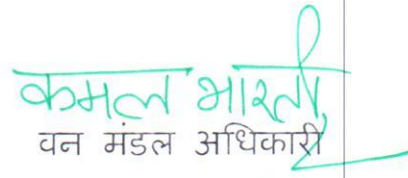
IT IS CERTIFIED THAT THE LAND PROPOSED FOR THE CA SITE UNDER THE DIVERSION OF 3.5271 HA OF FOREST LAND IN FAVOUR OF HPPWD DIVISION SALOONI FOR THE CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM BHADILLA TO ANDWAS (KMS 0/0 TO 6.300) WITHIN THE JURISDICTION OF CHURAH FOREST DIVISION SALOONI DISTRICT CHAMBA (ONLINE PROPOSAL NO. _____). THE SITE HAS BEEN INSPECTED ON DATED 14/06/2022 AND IT OBSERVED THAT THE OCULAR DENSITY OF THE AREA IS LESS THAN 0.4. THE SITE IS INFESTED WITH THE SHRUBS AND FEW TREES LIKE SUDOCACIA ETC. THE POSSIBILITY OF PLANTING AS PER NORMS OF PER HECTARE CAN BE TAKEN UP IN THE ABOVE MENTIONED AREA. THEREFORE THE PROPOSED AREA BE TREATED AS SUITABLE FOR RAISING COMPENSATORY AFFORESTRATION.


Divisional Forest Officer
Churah Forest Division
SALOONI

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

मैं वन मंडल अधिकारी वन मंडल सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अड़बास सडक निर्माण के लिए वन भूमि के बदले चयनित सी० ए० क्षेत्र का दिनांक 22-04-2022 को मौका निरिक्षण किया गया जिसमें पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपन नहीं किया गया है।

दिनांक 23.04.2022


वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सलूणी

बचन बढ़ता प्रमाण पत्र संद ब० १.

मैं वन मंडल अधिकारी वन मंडल सलूणी यह प्रमाणित करता हूँ कि भडेला से अड़बास सडक निर्माण के लिए वन भूमि के बदले चयनित सी० ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपन नहीं किया गया है।

दिनांक 25.02.2022

कमल भारती
वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सलूणी

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 8)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा जो भी
दिशा निर्देश/निर्णय लिए जाएंगे विभाग को स्वीकृत होंगे।

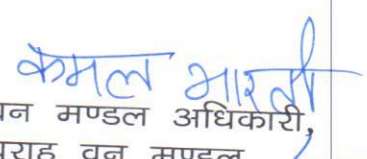
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 9)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 141 है और पेडों की कटाई की लागत यथासम्भव जमा करवाई जाएगी।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 10)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिपूरक वनीकरण
की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा करवाई गई है।

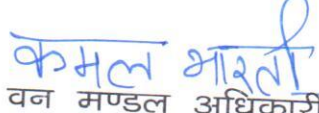
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 11)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है।

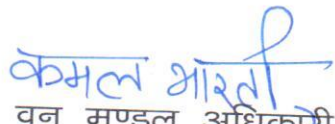
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 12)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए आईआरसी मानदंडों के अनुसार सडक के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए पर्यासरत हैं।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024.

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 13)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सड़क निर्माण के लिए संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर
सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने के लिए पर्यासरत हैं।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 14)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के
प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वाध्य हैं।

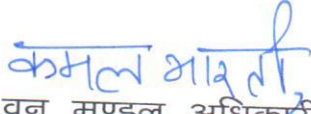
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024 .

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 15)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव
का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 16)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेल से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर
स्थापित नहीं किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 17)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से ही पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन ही दिया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 18)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 19)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल शर्मा
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 20)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेल से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए प्रत्यावर्तन की अवधि को पूर्ण अवधि के
साथ जो भी लक्षित होगा उसकी अनुपालना की जाएगी।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 21)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतू नहीं किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2024 .

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 22)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल
हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास
तक सडक निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी
होगें विभाग द्वारा उनकी अनुपालना की जाएगी।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021-

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

कमल शास्त्री
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 23)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होगा तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन होगा।

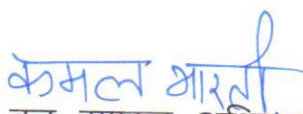
स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021 .


अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-


वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 24)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल

हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेला से अंदवास तक सडक निर्माण के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जारी दिशानिर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।

बचन बद्धता प्रमाण पत्र

(मद संख्या 25)

मैं अधिशाषी अभियंता सलूणी मण्डल

हि०प्र०लो०नि०वि० सलूणी यह प्रमाणित करता हूं कि भडेल से अंदवास तक सडक हेतू सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

स्थान:- सलूणी

दिनांक:- 29.12.2021

अधिशाषी अभियंता,
सलूणी मण्डल हि०प्र०लो०नि०वि०
सलूणी।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित:-

दिनांक:-

कमल भारती
वन मण्डल अधिकारी,
चुराह वन मण्डल
सलूणी।



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र संख्या: 8बी/एच.पी./06/14/2020/एफ.सी. 573.

दिनांक: 18.11.2022

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार

आमसंडेल बिल्डिंग, शिमला।

(e mail:- forestsecy-hp@nic.in)

विषय: Diversion of 3.5271 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bhadela to Andwas (Kms 0/00 to 6/300), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/25469/2017).

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) द्वारा Parivesh portal पर upload किए गए पत्र दिनांक 18.10.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण पर नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्रांक दिनांक 18.01.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.04.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें उल्लेखित शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार Diversion of 3.5271 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bhadela to Andwas (Kms 0/00 to 6/300), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh हेतु विधिवत स्वीकृति (Stage -II Approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

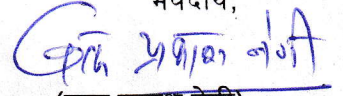
1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 7.06 हे० degraded forest land के Block/Compartment/Survey No. Salooni/Billa Beat/52D 1, Dhar Malhol DPF, Himgiri Forest Range, Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई

क

दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार कुल **141 Trees** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
7. The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The copy of compliance for the same along with documentary evidence be provided to this office.
8. According to the proposal, the area proposed for diversion falls under PWC (Protection Working Circle). However, the Hon'ble Apex Court of India has banned diversion of the forest land in PWC. Therefore, State Govt. may obtain the necessary order/permission in this regard from Hon'ble Apex Court prior to actual working on the forest area.
9. A large number trees (141 trees) of important species are being affected in the proposal. Thereofre, State Forest Department shall constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer In-charge and headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the RoW after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. He will submit a list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained.
10. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़के के दोनों किनारों जहां-जहां सम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।
13. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति-अवरोधक लगाए जाएंगे।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
17. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
23. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।
25. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबांग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (e-mail: adgfc-mef@nic.in).
2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबांग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (e-mail: rohq-mefcc@gov.in).
3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (e-mail: nodalcahp@yahoo.com).
4. आदेश पत्रावली।